an>

Title: Need to facilitate smooth implementation of Pradhan Mantri Mudra Yojana in the country.

श्री संजय काका पाटील (सांगली) ः देश भर में केंद्र सरकार द्वारा सभी बैंकों में मुद्रा कर्ज योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत शिशु, किशोर और तरूण, इन तीन कर्जों का प्रावधान किया गया है। इसमें शिशु कर्ज के तहत 50,000/- रू., किशोर कर्ज के तहत 50,001 से 5 लाख रू. और तरूण कर्ज के तहत 5,00,001 से 10 लाख रू. की सीमा तय की गई है। हर एक जिले के लिए एक नोडल बैंक तय की गई है। इसकी तरफ से योजना के तहत दिए जाने वाले कर्जों की जानकारी रखी जाती है।

लेकिन सामान्य ग्राहक या कर्जदार अगर किसी भी बैंक में मुद्रा कर्ज योजना के तहत प्रस्ताव देता है तो बैंक की तरफ से इस प्रकार के कर्जे के लिए बैंकों द्वारा गारंटी की माँग किए जाने के बहुत से किस्से देखे गए हैं। सामान्य ग्राहक के प्रस्ताव में कोई भी कमी न होने पर भी उसको इस योजना के तहत कर्ज मिलने में बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। इस प्रकार के कर्जे की हर बैंक में सीमा दी गई है और हर बैंक में पुराने ग्राहक या कर्जदारों को ही मुद्रा योजना के तहत कर्ज दिया जाता है। ऐसा देखा गया है कि इस योजना से सामान्य जनता के मन में बहुत सी उम्मीदें हैं। जो लोग इस योजना का लाभ उठाकर अपनी आजीविका का प्रबंध करने की सोचते हैं, उनको बैंकों द्वारा की जाने वाली अनावश्यक औपचारिकताओं की वजह से घोर निराशा होती है।

इस दुविधा को किसी भी प्रकार से कम करने के लिए या फिर बैंकों को इसके लिए सक्षम बनाने के लिए हर बैंक में मुद्रा कर्ज योजना की हर जानकारी ग्राहकों को देने के लिए और इस योजना का योग्य तरीके से मार्गदर्शन करने के लिए एक मार्गदर्शक कक्ष या फिर नोडल अधिकारी की नियुक्ति करना जरूरी है, ताकि वह ग्राहक या कर्जदार और बैंकों के बीच मध्यस्थ बनकर योजना के अंतर्गत लोगों को आ रही दिक्कतों का समाधान कर सकें। वैसे ही स्किल डेवलपमेंट के तहत ट्रेनिंग लिए हुए युवाओं को मुद्रा कर्ज योजना के तहत कर्ज देकर नए उभरते उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्देश दिए जाएं।